

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.14(5)खान/ग्रुप-2/2017

जयपुर दिनांक:

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 63 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सहायक खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता), खनि अभियंता, खनि अभियंता (सतर्कता), अधीक्षण खनि अभियंता अथवा अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) के द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली अपील की सुनवाई हेतु संबंधित अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन को एतद्वारा अधि कृत किया गया है।

उक्त आदेश की निरन्तरता में यदि किसी अधिकारी को अतिरिक्त निदेशक (खान), जोन के पद विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है, तो वह नियम 63 के अन्तर्गत अपीलों की सुनवाई हेतु अधिकृत होगा।

(आशु चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव

756
17/5/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक, खान द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
5. समस्त अधीक्षण खनि अभियंता/खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
6. DGMOS प्रकोष्ठ, खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
7212441



Digitally signed by Asha Chaudhary
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.05.15 8:28:22 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता : कमरा संख्या 02, तृतीय तल, मुस्तकाल
सचिवालय, जयपुर। दूरभाष 0141-2920429
ई-मेल आईडी: JS.MINES@RAJASTHAN.GOV